17.08.2012 10:19 F-7(39) VTN/11-12/Part-II

1139
7.8.12

(261)

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

ज्येष्ठ 22, मंगलवार, शाके 1934-जून 12, 2012
Jyaistha 22, Tuesday, Saka 1934-June 12, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2012

संख्या प. 2 (16) विधि/2/2008.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 जून, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2012 का अधिनियम सं. 23)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 जून, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 65 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
सामान्य प्राप्ति क्रमांक 1031 दिनांक 07/08/12
हस्ताक्षर प्राप्ति लिपिक
शाखा जिसमें पत्र देना है।
स्था./सतर्कता/जांच/विधि/अंके/लेखा/सटाम्पस/निरीक्षण/ सांख्यिकी/कम्प्यूटर/रोकड़/बिल/स्टोर/ए.सी.आर./सू.अ.
हस्ताक्षर कार्या० अधीक्षक
महानिरीक्षक

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, June 12, 2012

No. F. 2 (16) Vidhi/2/2008.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Stamp (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 23) :-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No. 23 of 2012)
[Received the assent of the President on the 4th day of June, 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
सामान्य प्राप्ति क्रमांक.................. दिनांक..............
हस्ताक्षर प्राप्ति लिपिक
शाखा जिसमें पत्र देना है।
स्था./सर्तकता/जांच/विधि/जन/लेखा/सटाम्पस/निरीक्षण/सांख्यिकी/कम्प्यूटर/रोकड़ /बिल/स्टोर/ए.सी.आर./सू.अ.
....
हस्ताक्षर कार्या० अधीक्षक
उपनिरीक्षक

(263)

2. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.–In proviso of sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998(Act No. 14 of 1999), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "fifty percent", the expression "twenty five percent" shall be substituted.

3. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 14 of 1999.–In proviso of section 57 of the principal Act, for the existing expression "fifty percent", the expression "twenty five percent" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
सामान्य प्राप्ति क्रमांक.................... दिनांक................
हस्ताक्षर प्राप्ति लिपिक
शाखा जिसमें पत्र देना है।
स्था./सर्तकता/जांच/विधि/जन/लेखा/सटाम्पस/निरीक्षण/सांख्यिकी/कम्प्यूटर/रोकड़ /बिल/स्टोर/ए.सी.आर./सू.अ.
....
हस्ताक्षर कार्या०अधीक्षक
महानिरीक्षक

क्रमांक एफ-7(39)जन/11-12/पार्ट-1/10509-959 दिनांक 14.08.2012.

प्रमुख शासन सचिव विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा-65 एवं 67 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(16)विधि/2/2008 दिनांक 12.6.12 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
9- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर।
10-समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान।
11-समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12-मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13-उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14-उप निदेशक (कम्पयूटर) मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15-समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16-निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17-समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर